

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 1(1) ग्रावि/नरेगा/मा.द./जीओआई/2013 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 23 MAY 2013

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजना में खेल मैदानों के निर्माण बाबत।

प्रसंग:- सिंचित एवं भू अभियांत्रिक विशेषज्ञ यूएनडीपी/एमजीनरेगा/तकनीकी
सचिवालय, नई दिल्ली का पत्रांक जे-11017/41/2002/एमजीनरेगा/
(यूएनए) (पार्ट-1।) दिनांक 18.04.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के द्वारा नरेगा योजना में निवेदन है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 15.01.2013 के द्वारा अनुसूची 1 में क्रम संख्या XV(b) पर खेल के मैदानों का निर्माण अनुमत किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार खेल के मैदानों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

भवदीय,
23

(खजान सिंह)

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजस्थान।
3. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद ईजीएस राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

23

परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस

G.N.SHARMA
Irrigation & Soil Engineering Expert



UNDP/MGNREGA Technical Secretariat

NO. J-11017/41/2012-MGNREGA (UN) (Part-II)

Dated: 18th April, 2013

Dear *Satish Singh*,

Please refer your DO letter dated 20th March, 2013, enquiring whether different type of works required in playground can be carried out under MGNREGS. I am directed to inform you that as you have referred in your letter Para 1 iii) of the guidelines issued by the Ministry, in which it is mentioned that "items/ activities under taken under MGNREGA for development of playfields should be such as permissible under MGNREGA and so that wage material ratio of 60:40 could be ensured at Gram Panchayat Level"

Therefore, as per Para 1 iii) of the guidelines, land development/ land leveling and live fencing with ditch cum bund can be carried out under MGNREGS and for other works convergence with related ongoing schemes in the area may be made for value addition.

Regards.

Yours sincerely,
[Signature]
(G.N. Sharma) 18/4/13

Shri Khajan Singh,
Project Director & Dy. Secretary, EGS,
Rural Development & Panchayat Raj Department,
Government of Rajasthan,
Secretariat, Jaipur (Rajasthan)